A.12025/12/2020-Admn Government of India Ministry of Jal Shakti CALL Department of Water Resources, RD & GR

3 JUL 2021

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY GOVT, OF NOT OF DELHI

7 3 IIII 202

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg New Delhi, the U July, 2021

То

- 1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
- 2. To Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India

Research Undertakings/Agricultural Universities/Recognised 3. Public Sector Institutes/Semi-Government/Autonomous/Statutory Organisations.

Hu Subject:- Filling up the post of Commissioner(CAD) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry Secy (Sexulus) Madam/Sir, GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short-term contract) basis-reg.

I am directed to say that Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation proposes to fill up the post of Commissioner (Command Area Development), a General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial post in the pay matrix level- 14 (Rs. 144200-218200) on deputation (including short-term contract) basis.

Eligibility

55 (Services)-II

Officers of the Central Government or State Governments of Union Territories or 2. Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations are eligible who has following qualifications-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 13 (Rs. 123100-215900) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Master's Degree in Civil Engineering or Soil and Water Conservation Engineering or Agricultural Engineering or a Master's Degree in Agricultural Science from a recognised University; and

(ii) Fifteen years' practical experience in Command Area Development or irrigation related work in the irrigation or agricultural Department of a State Government or Central Government or in any recognised Agricultural University or in any agricultural training or Research or Management Institute.

21 Sh. Yogesh

23/5'

2. The total period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five (05) years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

3. The officer selected on deputation basis will have the option to draw his pay in the pay matrix in the parent cadre plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the pay matrix of the deputation post subject to the restrictions contained in the Department of Personnel & Training O.M. No. 2/29/91-(Pay-II), dated 17.06.2010, as amended from time to time.

4. It is requested that wide circulation may be given to the post and applications of eligible and willing officers (in triplicate) duly completed and signed by the officer concerned in the enclosed proforma (Annexure A) & countersigned by the sponsoring authority along with requisite certificate/documents may be forwarded to the undersigned within 45 days from the date of publication of advertisement in the Employment News. While forwarding the applications the sponsoring authority may certify that:

- i. particulars given by the applicant are correct
- ii. His/her integrity is certified
- iii. There is no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the applicant.
- iv. No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years Or A list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed (as the case may be)
- v. His/Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the APARs for the last five (5) years duly attested on each page by an officer not below the rank of Under Secretary or equivalent.

5. Advance copy of application may be forwarded by email to usadmn-mowr@nic.in or admn-mowr@nic.in. Advance copies of application or application received after the prescribed period or not accompanied with the requisite information/ documents are liable to be rejected.

Yours faithfully,

Chandy (S.B.Pandey)

Under Secretary to the Govt. of India Tel No. 011-23738126 Email: usadmn-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action: -

- i. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
- ii. All Commissioners/SJCs in D/o WR, RD & GR
- iii. Under Secretary {CS-I(Coord)}, DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
- iv. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website

सं. ए.12025/12/2020-प्रशा. भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली, 12, जुलाई, 2021 440/C

सेवा में

eriod of

- 1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
- 2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध-सरकारी/स्वायत/ सांविधिक संगठन।

विषयः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर आयुक्त (सीएडी) के पद को भरे जाने से संबंधित।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय पद के वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (रूपए 144200-218200) में आयुक्त (कमांड क्षेत्र विकास) के पद को भरे जाने का प्रस्ताव करता है।

पात्रता

2. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी, जो निम्नलिखित अर्हताओं को धारण करते हों, पात्र होंगे-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हों; अथवा

(ii) नियुक्ति के उपरांत, मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रूपए 123100-215900) अथवा इसके समतुल्य ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा (iii) नियुक्ति के उपरांत, मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रूपए 78800-209200) अथवा इसके समतुल्य ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव-

 (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग अथवा मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग अथवा कृषि इंजीनियरिंग अथवा कृषि विज्ञान में परास्नातक डिग्री; और

(ii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अथवा किसी कृषि प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा प्रबंधन संस्थान के सिंचाई अथवा कृषि विभाग में कमान क्षेत्र विकास या सिंचाई कार्यों में पन्द्रह वर्षों का व्यावहारिक अन्भव।

3. प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र सरकार के विभाग के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाहय संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया (अल्पकालिक संविदा सहित) पांच (05) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. चयनित अधिकारियों के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 2/29/91-(वेतन-11) (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रतिबंधित शर्तों के अनुसार अपने मूल संवर्ग में मैट्रिक्स के अनुसार अपने वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

5. अनुरोध किया जाता है कि पद का व्यापक प्रचार किया जाए और पात्र और इच्छुक अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक क) में संबंदित अधिकारियों के संपूर्ण विवरण (तीन प्रतियों में) हस्ताक्षर और प्रायोजित प्राधिकारी के प्रति हस्ताक्षर सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के साथ रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित करते समय प्रायोजित प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि:

- आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है।
- ii. आवेदनकर्ता की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- iii. आवेदनकर्ता के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।

iv. R

पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदनकर्ता पर किसी भी प्रकार की बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदनकर्ता पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची (मामले के अनुसार) संलग्न है।

v. आवेदनकर्ता को पिछले पांच वर्षों की मूल सीआर डोजियर/एपीएआर की प्रतियों का प्रत्येक पृष्ठ कम से कम अवर सचिव या इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा सत्यापित करके संलग्न की जाए।

6. आवेदन की अग्रिम प्रति ई-मेल द्वारा usadmn-mowr@nic.in या admnmowr@nic.in पर अग्रेषित की जा सकती है। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले अग्रिम आवेदन अथवा अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों के अभाव में ऐसे आवेदनों का निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय,

1381C

Hurron -

(एस.बी. पाण्डेय) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाषः 011-23738126 ईमेलः- usadmn-mowr@nic.in

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रेषितः-

- i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
- ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
- iii. अवर सचिव {सीएस-। (कोर्डिनेशन)} कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, 'ए' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

iv.

fzart

94